>

Title: Need to amend Drugs and Cosmetics Act to provide better and effective medicines at affordable price to the people of the country.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): सरकार ने देश में एंटी बायोटिक्स के इस्तेमाल को सुनियोजित करने और उस पर निगाह रखने के लिए राष्ट्रीय नीति जारी करके एक महत्वपूर्ण पहल को अंजाम तो दिया है लेकिन एंटी बायोटिक्स का इस्तेमाल भारत में इतनी बुरी तरह से किया जा रहा है कि इन दवाओं का प्रभाव ही खत्म होने लगा है । एक चिंता यह भी है कि भारत में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हे, जिन पर कोई एंटी बायोटिक्स दवा काम ही नहीं करती । इसका हल स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द खोजना आवश्यक है, क्योंकि इसकी चिंता जो सर पर मंडरा रही है वह यह कि हमारे देश में एंटी बायोटिक दवाओं का कारोबार बेहद अव्यवस्थित है। इसके लिए हमें शीघ्र ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में सुधार करना होगा ।

औषधि का क्षेत्र जितना व्यापक है वहां समस्याएं भी उतनी ही विकराल है । नीति यह है कि सस्ती जैनरिक दवाओं को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों को डॉक्टरों की लिखी महंगी दवाएँ खरीदनी पड़ती है । अक्सर नकली दवाओं का गौरख धंधा भी पकड़ा जाता है । इस मामले में सरकार को सजग होना चाहिए और पूरे औषधि तंत्र को दुरूस्त करने का बीड़ा उठाना चाहिए तथा जब औषधि क्षेत्र के हालात इतने खराब हो तो केवल एक नीति जारी करने से कुछ नहीं होने वाला । आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है। कृपया जनहित में इस पर सकारात्मक कार्रवाइ की जाए ऐसी मेरी मांग है ।